Plan-App

हमारा यही प्रयास — सबका अपना

ISO 9001:2000 Certified

कार्यालय वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी,

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम

वसुन्धरा आफिस काम्पलैक्स, सेक्टर–16ए, वसुन्धरा गाजियाबाद।
दूरभाष : 0120–2885632 : email : apunit6@indiatimes.com

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृति पत्र

संख्या 632 / नि0प्रा0–05 / 12–13 / वा0नि0–1 गा0 — दिनांक 01-09. 2012

सेवा में,

मैसर्स एस0के0जी0 होम्स प्रा0 लिमि0,
द्वारा श्री पीशुष, गुप्ता, डायरेक्टर,
1007, अरूणांचल बिल्डिंग,19 बारा खम्बा रोड,
नई दिल्ली ।

विषयः ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड संख्या–13 / जी0एच0–01 वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के प्रस्तावित मानचित्र उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत / निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में दिनांक **8.8.2012** को 15 मी0 से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले भवनों के मानचित्रों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें आपके प्रकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। समिति द्वारा विचारोपरान्त आपके मानचित्र को कतिपय शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त भूखंड संख्या 13 / जी0एच0–01,वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में निर्माण करने हेतु आपके आवेदन के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। **दिनांक 01.09.2012 से 31.08.2017 तक।**
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र में लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. प्रश्नगत भूखंड का मानचित्र यदि पूर्व में स्वीकृत किया गया हो तो उसे एतद्द्वारा निरस्त समझा जायेगा।
5. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–01,उ0प्र0 आवास विकास परिषद,वसुन्धरा योजना गाजियाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
6. यह स्वीकृति नियमानुसार 03 Basement +Stilt+12 तलों के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है।
7. स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा, तथा वर्तमान मानचित्र में कुल 48 नग फ्लैट्स का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
8. यह स्वीकृति 3158.40 व0मी0 के भूखंड पर 14154.92 व0मी0 एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल (कुल 2.471 एफ0ए0आर0) हेतु प्रदान की जा रही है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
9. भूखंड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों / भूखंडों का मार्ग / आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10. Visitors Parking का प्राविधान भूखंड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखंड परिसर के अन्दर ही करना सुनिश्चित करना होगा।
11. भूखंड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
12. उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण लिये गये निर्णय के सापेक्ष आपके प्रत्यावेदन दि0 29.8.12 पर विचारोपरान्त मुख्य वास्तुविद नियोजक (म0) के आदेशानुसार भवन की प्रस्तावित ऊँचाई हेतु सिविल एविएशन / हिण्डन एअरपोर्ट से वांछित एन0ओ0सी0 03 माह के अन्दर आपको प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उक्त बिल्डिंग की ऊँचाई 30 मीटर तक की स्वीकृत मानी जायेगी।

क्रमशः / 2

13. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि प्रश्नगत भवन में हो रहे कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देषों का पालन किया जायेगा।
14. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान बिल्डिंग में किया जाना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेष के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
16. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देष मान्य होंगे।
17. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
18. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिष्चित करना अनिवार्य है।
19. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तो का शत प्रतिषत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी हैं।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन—सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
21. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,गाजियाबाद के पत्रांक एफ0एस0/एच0आर0—07/2012 दिनांक 30 अगस्त 2012 के द्वारा जारी प्राथमिक/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न मानचित्रों में अंकित अग्निषमन व्यवस्था का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा तथा निर्माण के उपरान्त एवं भवन के उपयोग से पूर्व स्थायी अनापत्ति प्रमाण—पत्र अग्निशमन विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
22. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
23. भवन के उपयोग से पूर्व अग्निशमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (14 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (11 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणनाओं का एक सैट (154 नग पृष्ठ)
4. अग्निशमन प्राविधानों को दर्षाते हुए CFO गाजियाबाद से अनुमोदित मानचित्र (11 नग शीट्स)

3/8/12

(एस0 जे0 यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांकः 1-9-12

पृ0स0: / उक्त /

प्रतिलिपिः 1. अधीक्षण अभियन्ता,सप्तम वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—01, उ0प्र0 आवास विकास परिषद,वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अग्निषमन अधिकारी,गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र का एक सैट व प्रपत्र—'च' सहित संलग्न प्रेषित।
4. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी